न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 17 / 2025

जीसीएमएस : 2025 / 172

01. रविन्द्र सिहं पुत्र श्री अमरीक सिहं जाति जटसिख साकिन 54 आर बी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। —:प्रार्थी

बनाम

1. कश्मीर सिहं पुत्र श्री जरनैल सिंह जाति जटसिख साकिन 54 आर .बी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। —:अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 07.05.2025

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री प्रीतम सिंह गिल अधिवक्ता प्रार्थी ।
2. श्री जगत पाल सिहं औलख , अधिवक्ता अप्रार्थी ।

—:निर्णय— दिनांक 27.05..2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी वाके चक 54 आर. बी. तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 92 / 11 के प.न. 144 / 266 मुरब्बा नं. 10 के कि.नं. 6 / 1 ता सश8, 13 / 1 ता 25 / 3, की कुल 3.529 है. नहरी–बारानी मय खाला मय गैर मु. रास्ता अनावेदक की खातेदारी भूमि में से कि.न. 21 / 4 के 0.088 है. बारानी में से एक बीस्वा यानि 0.012है., 22 / 1 की 0.240 है. नहरी में से एक बीस्वा यानि 0.012है., 23 / 2 की 0.088 है. नहरी में से एक बिस्वा यानि 0.012है., 24 / 1 की 0.240 नहरी में से एक बीस्वा यानि 0.012है. व 25 / 1 की0.215है. नहरी में से एक बिस्वा यानि 0.012 है. कुल पांच बीस्वा यानि 0.060 है. चालू रास्ता आवेदक स्वीकृत करवाना चाहता है। अनावेदक कश्मीर सिंह व अन्य की धृति में स्वीकृत शुद्वा चालू रास्ता वाके चक 54 आर बी के प.न. 144 / 266 मु.न. 10 के कि.न. 21 / 3 के 0.013है., 22 / 2 के 0.013 है., 23 / 3 के 0.013है., 24 / 2 की 0.013 है. की 0.013 है. कुल 0.065है. आवेदक को उसकी धृति व ढाणी वाके चक 54 आर बी के मु.न. 29 से जोड़ता है, इसके अलावा यह रास्ता सार्वजनिक हितार्थ उपयोग–उपभोग होकर दो गांवों चक 54 आर बी व गंगूवाला जाटान को आपस में जोड़ता है व आवागमन के हल्के व भारी वाहनों का आना–जाना रहता है। उक्त रास्ता मौका पर अनावेदक के रकबा में रास्ता चला आ रहा है। जिससे रास्ता की चौड़ाई मौका पर दो दो बीस्वा हो जाती है, जो आवेदक को अपनी जोत व ढाणी में पहूँचार्थ वा सार्वजनिक हितार्थ उपयोगी है। उपरोक्त स्थिति वा परिस्थितियो के मध्यनजर स्वीकृत रास्ता को एक–एक बिस्वा और चौड़ा कर स्वीकृत किया जाना अति आवश्यक है जिसे स्वीकृत करने में कोई बाधा नही है। अतः आवेदन आवेदक स्वीकार फरमाया जाकर सार्वजनिक हितार्थ व आवेदक वा सह खातेदार को अपनी जोत व रिहायशी ढाणी में पहूँच के प्रयोजनार्थ अनावेदक कश्मीर सिंह व अन्य की धृति में स्वीकृतशुदा चालू रास्ता को चौड़ा करते हुये अनावेदक की धृति वाके चक 54 आर बी के कि.न. 21 / 4 के 0.088 है. बारानी में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.02 16:06:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
Scanned with OKEN Scanner

एक बीस्वा यानि 0.012 है., 22/1 की 0.240 है. नहरी में से एक बीस्वा यानि 0.012 है., 23/2 की 0.088 है. नहरी में से एक बिस्वा यानि 0.012 है., 24/1 की 0.240 नहरी में से एक बीस्वा यानि 0.012 है. व 25/1 की 0.215 है. नहरी में से एक बिस्वा यानि 0.012 है. कुल पांच बीस्वा यानि 0.060 है चालू रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से श्री जगतपाल सिंह औलख अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी/ आवेदक का आवेदन पत्र में अंकित रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी के द्वारा के द्वारा प्रस्तावित रास्ता को स्वीकृत किया जाता है तो उसे कोई एतराज नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि जवाब आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक पत्र आवेदक स्वीकृत फरमाया जावे। आवेदक व अनावेदक ने दिनांक 19.05.2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया कि उक्त आवेदक के द्वारा प्रस्तावित रास्ता वाके चक 54 आर बी के मु.न. 10 प.न. 144/266 के कि.न. 21/4 के 0.088 है. बारानी में से एक बीस्वा यानि 0.012है., 22/1 की 0.240 है. नहरी में से एक बीस्वा यानि 0.012है., 23/2 की 0.088 है. नहरी में से एक बिस्वा यानि 0.012है., 24/1 की 0.240 नहरी में से एक बीस्वा यानि 0.012है. व 25/1 की 0.215है. नहरी में से एक बिस्वा यानि 0.012 है. कुल पांच बीस्वा यानि 0.060 है. चालू रास्ता बिना किसी मुआवजा के आदान–प्रदान के स्वीकृत कर तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन करवाया जाना, तय पाया गया ।

3. बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील पक्षकारान ने अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 19.05.2025 के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे तो किसी भी पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रकरण के चालू रास्ता किसी मुआवजा के आदान–प्रदान के स्वीकृत कर तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन करवाया जावे। प्रकरण में राजीनामा हो गया है तो तहसीलदार की रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 19.05.2025 के अनुसार उक्त चालू रास्ता स्वीकृत किया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता की श्रेणी में है। प्रार्थी के पास इसके अलावा अपनी जोत में आने–जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। बरूवे राजीनामा दिनांक 19.05.2025 के प्रार्थी एवं अप्रार्थी रास्ता भूमि के बदले बिना मुआवजा ... भूमि देने हेतु सहमत है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा ... क टीएक्ट के तहत स्वीकार किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.02 16:06:34 IST
Reason: SelfAttested

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 राजीनामा

Scanned with OKEN Scanner

अनुसार स्वीकार किया जाकर वाके चक 54 आर बी के मु.न. 10 प.न. 144/266 के कि.न. 21/4 के 0.088 है. बारानी में से एक बीस्वा यानि 0.012है., 22/1 की 0.240 है. नहरी में से एक बीस्वा यानि 0.012है., 23/2 की 0.088 है. नहरी में से एक बिस्वा यानि 0.012है., 24/1 की 0.240 नहरी में से एक बीस्वा यानि 0.012है. व 25/1 की 0.215है. नहरी में से एक बिस्वा यानि 0.012 है. कुल पांच बीस्वा यानि 0.060 है.चालू रास्ता बिना किसी मुआवजा के आदान–प्रदान के गै. मु. रास्ता दर्ज करने हेतु स्वीकृत किया जाता है तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन किया जावे। ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.02 16:06:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner